

मार्ग उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल
निविदा सूचना

दिनांक: 15.06.2022


सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में आगामी एक वर्ष हेतु रद्दी कागज (कतरन के रूप में) की क्रय करने हेतु मोहरबन्द दर अनुबंध निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता निर्धारित निविदा-प्रपत्र तथा समस्त शर्तें, व्यवस्थाधिकारी कार्यालय अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं एवं समस्त विवरण माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.hightcourt offuttarakhand.gov.in पर भी उपलब्ध है।

इच्छुक निविदादाता की बन्द निविदाएं निर्धारित प्रारूप में दिनांक **01.07.2022** की दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व तक व्यवस्थाधिकारी कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे। उक्त दिनांक एवं समय के बाद या विलम्ब से पहुँचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

S/d
निबन्धक (प्रोटोकाल)
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद प्रचार हेतु चस्पा करवायें:-

- 1- जिला न्यायाधीश कार्यालय, नैनीताल।
- 2- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल कार्यालय, नैनीताल।
- 3- जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल।
- 4- जिला सूचना अधिकारी कार्यालय, नैनीताल।
- 5- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
- 6- लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
- 7- न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।


व्यवस्थाधिकारी
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

नियम व शर्तें

- 1- इच्छुक आवेदककर्ता को संलग्न प्रारूप १ को भरकर देना होगा एवं नियम व शर्तों के समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर व मुहर लगाकर देनी होगी ।
- 2- आवेदन को निर्धारित प्रारूप में भरकर एक लिफाफे के अन्दर डालकर जिस पर “रद्दी कागज नीलामी हेतु निविदा” लिखा होना चाहिए । बन्द निविदाएं दिनांक 01.07.2022 की दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व तक व्यवस्थाधिकारी कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे । उक्त दिनांक एवं समय के बाद या विलम्ब से पहुँचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
- 3- निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रतिभूति के रूप में रु० 5000/- (रिफन्डेबल) बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट और निविदा शुल्क के रूप में रु० 590/- (नान रिफन्डेबल) के बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पक्ष में नैनीताल में देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगी । किसी भी दशा में धरोहर राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । जिनकी निविदा स्वीकृत नहीं होंगी उनकी धरोहर राशि, एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी । लेकिन निविदा स्वीकृत होने की दशा में उक्त धरोहर राशि (सामान्य परिस्थितियों में) निविदा अवधि के पूर्ण होने पर वापस की जायेगी ।
- 4- विभाग द्वारा निर्धारित की गई रद्दी कागज की न्यूनतम दर (रूपये 11/- प्रति किलो) से कम की बोलियाँ मान्य नहीं की जायेंगी ।
- 5- सफल निविदादाता का बोली मूल्य अगले एक वर्ष हेतु मान्य होगा ।
- 6- निविदादाता को प्रति माह या विभाग द्वारा बुलाये जाने पर रद्दी कागज (कतरन के रूप में) को तोल कर तथा उसके मूल्य का भुगतान नकद या बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में करने के पश्चान्त ही रद्दी कागज को ले जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी होगा ।
- 7- आवेदन निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है, के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को निविदा में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने होंगे अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी ।
- 8- निविदा प्रपत्र मा० न्यायालय के व्यवस्थाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा मा० न्यायालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।
- 9- किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये उसे निरस्त करने तथा निविदा की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल का होगा ।
- 10- माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा स्वीकार की गयी निविदा के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
- 11- निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जायेगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा ।
- 12- निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म/ निविदादाता को काली सूची में अकित करने हेतु कार्यवाई करे ।
- 13- दो अथवा ज्यादा निविदादाताओं द्वारा समान बोली भरे जाने की स्थिति में किसी एक निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का अधिकार महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल को होगा ।
- 14- सभी करों का भुगतान सफल आवेदक को स्वयं करना होगा । उसके लिये मा० उच्च न्यायालय जिम्मेदार नहीं होगा ।
- 15- निविदा के सम्बन्ध में किसी भी कानूनी विवाद का अधिकार क्षेत्र नैनीताल स्थित सक्षम न्यायालय होगा ।
- 16- निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे:-
 - 1- निर्धारित धरोहर धनराशि रु.5000/- की बैंक गारन्टी/एफ.डी.आर./डिमाण्ड ड्राफ्ट ।
 - 2- निविदा प्रपत्र की फीस हेतु रु.590/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट (पृथक से) ।
 - 3- पहचान पत्र, पैन नंबर ।
 - 4- जी०एस०टी० नंबर (यदि हो) ।

S/d

निबन्धक (प्रोटोकाल)
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

1.	निविदा भरने वाले का नाम	
2.	फर्म का नाम	
3.	पिता का नाम	
4.	पूर्ण पता	
5.	GST No.	
6.	PAN No.	
7.	फोन नं० तथा अन्य विवरण	
8.	निविदा शुल्क (₹० 590/-) का विवरण (डिमाण्ड ड्राफ्ट)	
9.	निविदा प्रतिभूति (₹० 5000/-) का विवरण (बैंक गॉरन्टी/एफ.डी.आर/डिमाण्ड ड्राफ्ट)	
आवेदक द्वारा रद्दी कागज की लगाई गई बोली (प्रति किलो) न्यूनतम दर ₹० 11/- प्रति किलो		
अंको में		
शब्दों में		

निविदा प्रपत्र में लिखित समस्त शर्तें हमें मान्य हैं।

हमने सभी शर्तें पढ़ ली हैं तथा मैं निविदा शर्तों का अनुपालन करूँगा/करूँगी।

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर